राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की "सम्पत्ति आवंटन समिति" की बैठक दिनांक 27.02.2018 को सायंकाल 04:30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में विधान सभा भू-तल स्थित कमरा नं. 751 जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुएः-

1.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ0 के.बी. गुप्ता	आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर	सदस्य
3.	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर	सदस्य
4	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य
5	श्री के.के. माथूर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य
6.	श्री ए.के. रावत	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य
7.	श्री अनिल कुमार कौशिक	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक,(कार्यवाहक) रा0आ0म0 जयपुर	सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित हुए :-

1. श्री एम.के. ठोलिया, वरिष्ठ लेखाधिकारी, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. श्री एस.एल. सेठी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. श्री कल्याण प्रसाद, उप आवा. आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
4. श्री सीताराम बारी, उप आवा. आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा.आ.मंडल, जयपुर।
5. श्री के.एन. माथुर, उप आवा. आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा.आ.मंडल, जयपुर।

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	क्रियान्वति रिपोर्ट करने वाले कार्यालय का नाम
1.	मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 08.02.2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	गत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 08.02.18 के कार्यवाही विवरण का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।	CEM
2.	मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 08.02.2018 में लिये गये निर्णय की कियान्वति रिपोर्ट अवलोकनीय है।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 08.02.18 के क्रियान्वति रिपोर्ट को आगामी PAC के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	CEM
3	श्रीमती डिम्पल पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार प्रजापत आवास संख्या 8/573, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर के साथ लगती हुई अतिरिक्त भूमि 46.80 व.मी. आवंटन के सम्बन्ध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में मण्डल द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अनुशंषा के आधार पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवास संख्या 8/573, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर के आवंटी को अतिरिक्त उपलब्ध भू-पट्टी 46.80 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का निर्णय नियमानुसार आवंटन के समय प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि (दर) वसूल करते हुए सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Bikaner
4	नीलामी से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या 7/72/एस-2, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर के आवंटी श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता को अन्य वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या 122/बी/22 सैक्टर-12, मानसरोवर में देने बाबत्।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर सैक्टर-12 के भूखण्ड संख्या 122-बी/ 22 के उस समय की न्यूनतम विक्रय दर के अन्तर व उस पर वर्तमान मण्डल की प्रचलित ब्याज दर 11 प्रतिशत की दर पर आवंटन पत्र जारी होने तक की गणना कर वाण्ज्यिक सैक्टर-12 के भूखण्ड संख्या 122-बी/ 22 का आवंटन हेतु निर्णय लिया गया।	DHC-I

34

5	फ्लैट संख्या–10/847 (भूतल), मालवीय नगर, जयपुर के आवंटी को फ्लैट के समीप स्थित 55.08 व.मी. अतिरिक्त भू–पट्टी आवंटन के संबंध में।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में मण्डल द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट अनुशंषा के आधार पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप आवास संख्य10/847 (भूतल), मालवीय नगर, जयपुर के आवंटी को अतिरिक्त उपलब्ध भू–पट्टी 18.56 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का निर्णय नियमानुसार आवंटन के समय प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि (दर) वसूल करते हुए सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं ग्रीन बेल्ट का उपयोग ही किया जायेगा।	DHC-III
6	गिरधारी लाल सैनी मैमोरियल हैल्थ सोसायटी, वैशाली नगर, जयपुर के आवेदन पर मानसरोवर योजना जयपुर मे सैक्टर 03, किरण पथ स्थित 1981.30 व.मी. अस्पताल प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन बाबत्।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मण्डल की मानसरोवर योजना जयपुर में सैक्टर 03 में हैल्थ सेन्टर प्रयोजनार्थ आरक्षित 1981.30 व.मी. भूमि को अस्पताल प्रयोजनार्थ नई भूमि आवंटन नीति के तहत बिन्दु संख्या–8 के समान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में पूर्व में भी आवंटन किया गया था परन्तु राज्य सरकार की रोक के कारण पूर्ण कियान्विती नहीं हो सकी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से नई आवंटन नीति 2015 के तहत नियमानुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। संस्था द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सी रिट पिटीशन को वापिस लिये जाने पर आवंटन की कार्यवाही की जावें।	DHC-II
7	मण्डल की गोविन्द नगर राजसमन्द योजना में माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी, विधायका को आवंटित आवास संख्या पी–28/3 के पास उपलब्ध भू–पट्टी 114.80 व.मी. के आवंटन के कम में।	समिति के समक्ष उप आवासन आयुक्त वृत उदयपुर द्वारा अवगत कराया है कि इसी कॉलोनी में एक भूखण्ड की नीलामी पूर्व में लगाई गई थी लेकिन कोई भी नीलामी कर्ता द्वारा भाग नहीं लिया गया साथ यह भी अवगत कराया है कि मण्डल की आवासीय आरक्षित दर सवा दो गुना की गणना करने पर प्रस्तावित राशि नीलामी की राशि से भी अधिक बनती है। इएलिए आवास के पीछे उपलब्ध 114.80 व.मी. भूमि को मण्डल नियमानुसार आरक्षित दर आवंटन के समय प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि (दर) वसूल करते हुए सर्व सम्मति से आवंटन का निर्णय लिया गया है।	DHC-Udaipur
8	माता अमृतानन्दमई मठ द्वारा सीनियर सैकण्डरी स्कूल (सीबीएसई) हेतु 20000 व.मी. भूमि आवंटन हेतु।	समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावनुसार मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर योजना के सैक्टर 13 में प्रस्तावित 4432.26 व. मी. उपलब्ध है एवं राज्य सरकार की आवंटन नीति 2015 में निर्धारित प्रावधान अनुसार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के लिये अधिकतम 4000 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधान होने के कारण व मण्डल के पास 432.26 व.मी. भूमि अनउपयोगी होने के कारण संस्था को भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	DHC-III, Jaipur

माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(अनिल कुमार कौशिक)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक एवं
सदस्य सचिव

क्रमांकः– मुसप्र / पीएसी / 2018/1395 दिनांकः– 14/3/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव / वित्तीय सलाहकार / मुख्य अभियन्ता (मु.) / प्रथम / द्वितीय / निदेशक(विधि) / मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय, / तृतीय अति0 मुख्य नगर नियोजक, राज.आ.मं., जयपुर।
5. सम्पदा प्रबन्धक (मु0),राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त–......... ....,राजस्थान आवासन मण्डल,........................ ।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड.............. राजस्थान आवासन मण्डल................ ।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यवाही विवरण की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक